राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 5351/2022

मुरलीधर शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.10.2022
आदेश की दिनांक : 05.12.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र कुमार जोशी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.02.1992 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक ग्रेड तृतीय के पद पर वेतन श्रृंखला 1200–2050 में हुई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 0511.1997 (अनुलग्नक–2) द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक के पद पर समायोजित करते हुए पदस्थापित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 2458/2003 हरफूल सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में आदेश दिनांक 03.07.2009 (अनुलग्नक–3) को प्रयोगशाला सहायक को भी अध्यापक ग्रेड तृतीय के समान वेतनमान देने के स्वीकृत करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग द्वारा डी.बी. रेस्टोरेशन संख्या 219/2019 (राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम हरफूल सिंह एवं अन्य) दिनांक 01.08.2019 को खारिज कर दी गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उपरोक्त वेतन श्रृंखला अपीलार्थी के समान कई कार्मिकों को दी गई, परन्तु अपीलार्थी को नहीं दी गई। अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 91/2022 बद्री सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.07.2022 (अनुलग्नक–4) द्वारा 27 वर्ष की सेवा

पर तृतीय चयनित वेतनमान एवं ग्रेड–पे दी गई है, का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण भी समान बताया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–III के पद की वेतन श्रृंखला 4500–7000 (9ए) समस्त पारिणामिक लाभ सहित दिए जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा पर एसीपी का लाभ देकर वेतन निर्धारण किया जाकर वार्षिक वेतन वृद्धि सहित समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावे।

प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान् अधिवक्ता ने सीधे ही बहस करते हुए अपील के आधारों का विरोध किया और कथन किया गया कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर की गई थी। राज्य सरकार के आदशों की पालना में अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया है। उक्त अध्यापकों को 9, 18, 27 वर्षीय ए.सी.पी. में प्रथम नियुक्ति पद प्रयोगशाला सहायक की एन्ट्री ग्रेड–पे राशि रूपये 2800/– के आधार पर क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 रूपये ग्रेड पे स्वीकृत किये जाने का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.07.2013 के द्वारा किया गया है। नियमानुसार अपीलार्थी की एन्ट्री ग्रेड पे राशि रूपये 2800 के आधार पर 9, 18 व 27 वर्ष पर क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 रूपये ए.सी.पी. स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी निरस्त फरमायी जावे।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना, जिसमें उन्होंने अपने–अपने अभिवचनों को दोहराया और अभिलेख पर उपलब्ध तमाम सामग्री का गंभीरतापूर्वक परिशीलन कर मनन किया।

हस्तगत अपीलों के अभिलेख एवं अभिवचनों से यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अपीलार्थीगण की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई, जिसकी वेतन श्रृंखला 1200–2050 अध्यापक तृतीय श्रेणी के समकक्ष थी। राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 24.07.1997 एवं 27.08.1997 के द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड पे 3600 होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. की ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 रुपये है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं, अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है। अपीलार्थीगण प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से चयनित होकर अधिशेष होने पर अध्यापक तृतीय श्रेणी में समायोजित किये गये है। अतः

प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक के पद पर समायोजित कार्मिक, नियमानुसार अध्यापक के पद के चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–तृतीय को देय अनुसार चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ स्वीकृत किया जाकर नियमानुसार भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जावे। उक्त निर्देशों की पालना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस आदेश की सत्यप्रति प्रस्तुत करने के तीन माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य